

नविवारक नरिध कानून के उपयोग में वृद्धि

प्रलिमिंस के लयि:

नविवारक नरिध, दंडात्मक नरिध, गैरकानूनी गतविधियिँ (रोकथाम) अधनियिम, राष्ट्रीय अपराध रकिँर्ड ब्यूरो (NCRB) ।

मेन्स के लयि:

नविवारक नरिध से संबद्ध मुद्दे और उनका समाधान ।

चर्चा में क्यौं?

[राष्ट्रीय अपराध रकिँर्ड ब्यूरो \(National Crime Records Bureau-NCRB\)](#) द्वारा जारी कयि गए नवीनतम अपराध आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में नविवारक नरिध कानून के उपयोग में लगभग 23% की वृद्धि हुई है, जसिमें 1.1 लाख से अधिक लोगों को नविवारक हरिसत में रखा गया है ।


नविवारक नरिध:

- **अनुच्छेद 22:** संवधान का अनुच्छेद 22, गरिफ्तार या हरिसत (नरिध) में लयि गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है । नविवारक नरिध का उपयोग दो प्रकार से होता है- दंडात्मक और नविवारक ।
 - **नविवारक नरिध** का उपयोग ऐसी स्थिति में कयि जाता है, जब कसिी व्यक्तिको केवल इस संदेह के आधार पर पुलसि हरिसत में रखा गया है कविह कोई आपराधिक कृत्य करेगा या समाज को हानि पहुँचाने का प्रयास करेगा ।
 - इसके अंतर्गत पुलसि के पास कसिी ऐसे व्यक्ता हरिसत में लेने का अधिकार है जसि पर उसे अपराध करने का संदेह है, कुछ मामलों में वारंट या मजसिस्ट्रेट के प्राधिकरण के बनिा गरिफ्तारी करने का भी अधिकार है ।
 - **दंडात्मक नरिध** अर्थ है- कसिी अपराध के लयि सजा के रूप में नरिध । इसका उपयोग ऐसी स्थिति में कयि जाता है जब वास्तव में कोई अपराध में कयि गया हो, या उस अपराध को करने का प्रयास कयि गया हो ।

राष्ट्रीय अपराध रकिँर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों की मुख्य वशिषताएँ:

Behind bars | A look at the number of preventive detentions under the National Security Act over the past five years

DETENTIONS RELEASED



- **हरिसत की सबसे अधिक संख्या:** वर्ष 2021 के अंत तक नविरक हरिसत में रखे गए कुल 24,500 से अधिक लोग या तो हरिसत में थे या अभी भी हरिसत में हैं, जिनकी संख्या वर्ष 2017 के बाद से जब NCRB ने इस आँकड़ों को रिकॉर्ड करना शुरू किया था, तब से अब तक सबसे अधिक है।
- **राज्य और केंद्रशासित प्रदेश:** वर्ष 2021 में तमलिनाडु के बाद तेलंगाना और गुजरात में राज्यों में सबसे अधिक, जबकि जम्मू और कश्मीर में नविरक नरिध के मामले सबसे अधिक दर्ज किये गए हैं।
- **सापेक्षिक नविरक कानून:**
 - NCRB के आँकड़ों से पता चला है कि **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA)** के तहत गरिफ्तार किये गए लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में काफी कम हो गई थी।
 - NSA के तहत नविरक नरिध के मामलों की संख्या वर्ष 2020 में (741) चरम पर पहुँच गई थी, जो वर्ष 2021 में यह संख्या गरिकर 483 हो गई।
 - गुंडा एक्ट
 - **स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988** में अवैध व्यापार की रोकथाम
 - **लोक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए)**
 - **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985**
 - इनसाइडर ट्रेडिंग का नषिध (PIT)
 - कालाबाजारी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव के नविरण अधिनियम, 1980 (PBMSECA)
 - इसके अलावा, "अन्य नरिध अधिनियमों" के रूप में वर्गीकृत एक श्रेणी, जिसके तहत अधिकांश नरिध के मामले पंजीकृत थे, वर्ष 2017 के बाद से लगातार नविरक नरिध के तहत व्यक्तियों की सबसे अधिक संख्या "अन्य नरिध अधिनियम" श्रेणी के तहत रखी गई है।
- **समस्याएँ/चुनौतियाँ:**
 - **अन्य अधिनियमों का दुरुपयोग:** **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act-UAPA)** और **महाराष्ट्र संगठित अपराध नयित्रण अधिनियम** जैसे कई कानून भी नविरक नरिध हेतु उपाय प्रदान करते हैं।
 - **सरकारी अधिकारियों द्वारा हेरफेर:** जिला मजिसिस्ट्रेट और पुलसि भी अकसर किसी भी दो समुदायों के बीच **भारती सांप्रदायिक झड़पों या संघर्षों में कानून और व्यवस्था को नयित्तरति करने के लिये नविरक नरिध का दुरुपयोग** करते हैं, भले ही यह हमेशा सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण न हो।
- **सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:** जुलाई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय की एक अवकाश पीठ ने तेलंगाना में एक चेन-सनैचर के लिये जारी नविरक नरिध आदेश को रद्द करते हुए देखा कश्मिज को दी गई **ये शक्तियाँ "असाधारण" हैं और चूँकि ये एक व्यक्त की स्वतंत्रता को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती हैं, अतः इनका उपयोग संयम के साथ किया जाना चाहिये।**
 - न्यायालय ने यह भी कहा कि इन शक्तियों का इस्तेमाल सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्याओं को नयित्तरति करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

[स्रोत: द हद्वि](#)